Guidelines for Transfer of officers and staff in NWDA-2014

NWDA has its Headquarter at New Delhi and its field offices are located at various places in India. The Offices of NWDA are opened, closed or shifted from one place to another depending upon the work requirements. The broad guidelines to be followed as regards transfer of officers and staff of NWDA are as under:

1. There is no public dealing in NWDA and hence periodical rotational transfers may not be necessary unless for sensitive posts.

2. Transfers shall be resorted to generally on:

   a. Closure or shifting of an office on completion of works/restructuring of an office on the basis of work programme.
   b. Promotion when no post is available at the place and/or vacant posts are to be filled elsewhere in the interest of work.
   c. Exigencies of Agency's work
   d. Compassionate and humanitarian grounds
   e. Administrative reasons
   f. Mutual basis at own cost.

3. Transfer on request made before completing normal tenure of four years continuous service at a station may be considered on merit wherever possible. Efforts will be made to post an official to the place of choice opted annually, and the same cannot be claimed as a matter of right. **This will be treated as at own cost**. However,

(i) an officer belonging to Group A who has worked for a continuous period of four years or more at a particular station, can opt for his transfer to a place of his choice and his request for such transfer may be considered as far as possible subject to the condition that the person to be transferred in his place has also a continuous stay of four years or more at that station and is the longest stayee on the basis of station seniority. Such transfers, which will be considered to be in public interest, cannot be claimed as a matter of right but will be subject to the exigencies of work.

(ii) Request for transfer to a place of choice can be made after two years continuous service at a station and such a request can be considered **at own cost**, if a vacancy is available at the place of choice.

(iii) an official belonging to Group B and C and women employees of any group, who has worked for a continuous period of two years or more at a particular station, can opt for his/her transfer to a place of their choice and the request for such transfer may be considered as far as possible provided vacancy is available. Such transfers, which will be considered **at own cost**, cannot be claimed as a matter of right.

4. When the transfer is due to requirement of the Agency and irrespective of the period of stay of the incumbent at a station, it shall be considered to be in public interest. Normally, the officers with the longest stay at a place shall be transferred, except in case of individual who may be required at the new station by virtue of his expertise, knowledge, etc. in a particular field.

5. (i) The transfer of officials, who have requested for transfer after completing minimum **two years** continuous service at a station, may be **considered at his/her cost** before the stipulated minimum period of **four years** stay at a place, when no substitute is required and there is no consequential transfer on this count.

5. (ii) Officers/employees shifted from different field offices to newly opened offices will, as far as possible, be sent back to the old stations or stations of their choice. Such transfers will be governed by the stipulations under these guidelines.

5. (iii) In case of newly opened field offices, options will normally be obtained from officers/ employees for posting at that field office(s). If more officers/ employees opt for posting at the new field office, decision will be taken on the basis of station seniority/ work experience. For remaining vacancies, if any, posting will be decided on the basis of overall station seniority and in the interest of work.

5. (iv) If an officer / employee is transferred in the exigencies of work, efforts will be made for transfer to a place of his/her choice and there should be a clear vacancy. Otherwise the person, against whom he/she is transferred, should have a stay of four years at that station.

5. (v) **If an officer/ employee is transferred to a new station under rotational transfers and thereafter, is transferred back to old station within two years of his transfer on compassionate grounds, the station seniority will be treated as continuous as if he/she was not transferred from the old station.**

5. (vi) Under the provisions contained in the Supplementary Rules, "a transfer at his own request should not be treated as a transfer in the public interest unless the authority sanctioning the transfer, for special reasons which should be recorded, otherwise directs". In such cases, Travelling Allowance and Joining Time are not admissible.

5.(vii) Posting/transfer of an officer or employee due to administrative convenience in the same station is not under ambit of transfer.

5. (viii) As far as possible, the routine transfer orders will be issued during the month of Feb/March every year.

5. (ix) Mutual transfer of officers and staff can be considered sympathetically at **their own cost** only after completing continuous service of **two years** or more. But, it cannot be claimed as a matter of right.

5. (x) Efforts will be made not to transfer an officer/employee, who already attained the age of 57 years, from his/her present place of posting. However, his/her request for transfer to the place of his/her choice citing their retirement will be considered. But this cannot be claimed as a matter of right.

5. (xi) A request for transfer on compassionate grounds can be considered on the following criteria:

a) **Health grounds**: An officer or employee and his/her spouse/dependent children, who is chronically ill due to debilitating diseases like heart disease, cancer, paralysis, etc., having mentally challenged children or children who are fully blind, provided that necessary supporting documents are submitted along with transfer request.

b) **On academic ground of children**: Officers/employees whose children are studying in Class X,XI and XII standards only.

c) Any other valid grounds subject to the satisfaction of the competent authority.

5. (xii) The incumbents of the posts of Superintending Engineer, Executive Engineer, Accounts Officer, Junior Accounts Officer, Junior Accountant, Superintendent Gr.-I/II, Head Clerk and Cashier who are working in sensitive posts, may be considered for transfer to another station on completion of their tenure of four years. Normally, they may not be allowed to function for more than four years unless it is explicitly recommended for their retention by the Chief Engineer concerned in the exigencies of work.

5. (xiii) The total tenure of choice posting at a station of an officer/employee in all the grades/posts counted together normally should not exceed more than **twenty years**.

6. On issue of transfer order involving change of Head Quarter, the employee concerned may normally be relieved by the Controlling Officer within one month of the issue of the order.

7. In case an employee, who has been transferred, wants to represent against the transfer on any grounds, he/she should submit a representation to his/her controlling officer within 15 days of the date of issue of the transfer order. The representation will be considered by the Competent Authority within a period of 10 days. After the decision of the Competent Authority on the representation is conveyed, the individual should be relieved, if so required by the decision, after giving him/her a reasonable but short period for preparations. The period for the purpose, to be decided by the Controlling Officer after considering the exigencies of work, should not normally exceed one month.

8. Following categories of staff will be considered inter-changeable for handling the work entrusted to them in the offices of the NWDA. However, in no case, the total posts can exceed the combined sanctioned strength in each category for all the

offices located at a given station, provided also that the total posts sanctioned under the jurisdiction of any Chief Engineer are not exceeded under each category:

a. Assistant Executive Engineer/AD/Assistant Engineer.
b. Superintendent Gr.-I/II.
c. Junior Accounts Officer/Junior Accountant
d. Stenographer I/II/III
e. UDC/LDC
f. Head D'Man/D'man Gr. I
g. D'man Gr. II/III
h. Driver Spl. Grade/Driver Grade I/II/II

Placement on promotion of an employee as indicated above will be on adequate justification to be recorded in writing and with prior approval of the Director General.

9. The staffing strength in any office would be as per the work requirement and within the posts as sanctioned. Allowing staff beyond the sanctioned strength is not permissible except by changing the sanctioned strength or as a temporary measure in the interest of work. Both the situations will, however, require approval of the DG, NWDA.

10. Based on the requests received from the officers/employees for transfer to the place of their choice for various personal reasons, the method of maintaining a suitable register, in which all such cases are entered, shall be followed. As and when vacancies arise, these cases are considered in the order of receipt of requests as well as the grounds on which transfer is sought for in each case. Preference will be normally given to such cases where the authority is satisfied about the genuineness of more pressing reasons. The period spent at the present station of posting is also considered.

11. Chief Engineer (North)/Chief Engineer (South) are empowered to decide the posting/transfer of employees below the level of Assistant Engineer within their respective jurisdiction as per the above guidelines. Similarly, Chief Engineer (HQ) is empowered to decide inter-regional posting/transfer of employees of above level. Relaxation of any guidelines will need approval of the Director General.

12. **NOTWITHSTANDING** any thing contained in the above transfer guidelines, the Director General has the inherent power to decide the posting/transfer of any officer/employee for any of the reasons mentioned in Clause 2 of the guidelines.

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए दिशानिर्देश – 2014

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं । कार्य की आवयश्कताओं के अनुसार रा.ज.वि.अ. के कार्यालय खोले जाते हैं, बंद किए जाते है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किये जाते हैं । रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में जिन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है वह विस्तृत तौर पर निम्नानुसार हैं:–

1. रा.ज.वि.अ. में कोई सार्वजनिक कार्य व्यवहार नहीं होता है अतः संवेदनशील पदोंके अलावा आवधिक कमावर्ती स्थानांतरण आवश्यक नहीं है ।

2. सामान्यतः स्थानांतरण तभी किये जाते हैं जबः–

(क) कार्य के कार्यक्रम के आधार पर कार्यालय की पुनः रचना/कार्य के पूरा होने/कार्यालय को बंद या स्थानांतरित किये जाने पर।

(ख) पदोन्नति होने पर यदि उस स्थान पर कोई पद रिक्त नहीं है तथा/या कार्य के हित में कही भी रिक्त पद को भरने के लिए ।

(ग) अभिकरण के कार्य के लिए तात्कालिक आवश्यकता ।

(ध) प्रतिपूरक तथा मानवीय आधार पर ।

(ङ.) प्रशासनिक कारणों से ।

(अ) स्वयं के खर्चे पर आपसी सहमति से ।

3. एक ही स्थान पर चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले स्थानांतरण के लिए किए गये आवेदन पर जहां भी संभव होगा पदक्रम के अनुसार विचार किया जाएगा। वार्षिक तौर पर कर्मचारी द्वारा चुने गये स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया जाएगा लेकिन अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता है। इसे स्वयं के खर्चे पर किया गया स्थानातंरण माना जाएगा। तथापि,

(i) समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने एक ही विशेष स्थान पर चार वर्ष या इससे अधिक की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, वे अपने पसंद का विकल्प स्थानांतरण के लिए दे सकते हैं, ऐसे स्थानांतरण के अनुरोध पर यथा संभव विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी जगह पर स्थानांतरित किए जाने वाले व्यक्ति ने भी उस स्थान पर चार वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो तथा स्थान वरिष्ठता के आधार पर वह बहुत लम्बे समय तक ठहरा रहा हो । ऐसे स्थानांतरण को जनहित में माना जाएगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता है परन्तु इसे कार्य की तात्कालिकता के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) एक स्थान पर 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद अपनी पंसद के स्थान पर स्थानांतरण का अनुरोध किया जा सकता है तथा ऐसे अनुरोध को स्वयं के खर्चे पर स्थानांतरण माना जाएगा, यदि चयन के स्थान पर पद उपलब्ध हो ।

(iii) समूह 'ख' एवं 'ग' के ऐसे अधिकारी तथा किसी भी समूह की महिला कर्मचारी जिसने एक विशेष स्थान पर दो वर्ष या अधिक की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, वह अपनी पसंद का विकल्प स्थानांतरण के लिए दे सकता है । तथा ऐसे स्थानांतरण के अनुरोध पर यथा संभव विचार किया जाएगा बशर्ते चयन किए गए स्थान पर पद रिक्त हो । ऐसे स्थानांतरण को स्वयं के खर्चे पर माना जायेगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता ।

4. जब अभिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण हो तथा एक ही स्थान पर पदस्थता की अवधि पर ध्यान दिए बिना किया जाए तो उसे जनहित में माना जाएगा। सामान्यतः एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने वाले अधिकारी का स्थानांतरण किया जाएगा परन्तु ऐसे व्यक्ति जिनकी विशेष क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान आदि के कारण नए स्थान पर आवश्यकता होगी उनको भी स्थानांतरित किया जा सकता है ।

5 (i) एक ही स्थान पर कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया हो उन्हें एक ही स्थान पर निर्धारित न्यूनतम चार वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले ही उनके स्वयं के खर्चे पर स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, जबकि उनके प्रतिस्थानी की आवश्यकता नहीं होगी तथा इसके अनुवर्ती स्थानांतरण नही किया जाएगा ।

5 (ii) नए खोले गये कार्यालयों में स्थानांतरित किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को यथा संभव, उनके पुराने कार्यालय या उनके द्वारा दिए गये विकल्प के स्थान पर भेजा जा सकता है । ऐसे स्थानांतरण इन मार्गदर्शनों दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुबंधों द्वारा नियंत्रित किए जाएगें ।

5 (iii) नए खोले गये क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में उस क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती समय सामान्यतया अधिकारी/कर्मचारी से विकल्प मांगे जाएंगे । यदि नए क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अधिक कर्मचारी/अधिकारी अपना विकल्प देते हैं, उस स्थिति में स्थान वरिष्ठता/कार्य अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जाएगा यदि कोई शेष पद रिक्त हों तो, समग्र स्थान वरिष्ठता तथा कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए, तैनाती का निर्णय लिया जाएगा ।

5 (iv) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कार्य की तात्कालिकता के कारण किया जाता है, तो उस के विकल्प के स्थान पर स्थानांतरण के प्रयास किए जाएंगे जब वहां स्पष्ट रिक्ति होगी अन्यथा, वह व्यक्ति जिसके स्थान पर स्थानांतरण किया गया है, उसे उस स्थान पर चार वर्ष रहना होगा ।

5 (v) यदि अधिकारी/कर्मचारी को रोटेशनल स्थानांतरण के अंतर्गत नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तथा उसके बाद दो वर्ष के भीतर ही उसे उसके पुराने स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर पुनः स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी स्थान वरिष्ठता यथावत बनी रहेगी जैसी कि पुराने स्थान पर थी ।

5 (vi) प्रतिपूरक नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वयं के अनुरोध पर किया गया स्थानांतरण जनहित में नही माना जाएगा बशर्ते कि स्थानांतरण प्राधिकारी किसी विशेष कारण के लिए मंजूरी दे और उसे रिकार्ड किया जाए, ऐसे मामलों में यात्रा मत्ता तथा कार्यभार ग्रहण समय शामिल नहीं किया जाएगा ।

5 (vii) प्रशासनिक कारणों से किसी अधिकारी/कर्मचारी का उसी स्थान पर स्थानांतरण/तैनाती स्थानांतरण की परिधि में नहीं आता है ।

5 (viii) जहां तक संभव हो, प्रत्येक वर्ष फरवरी/मार्च के दौरान ही नियमित स्थानांतरण के आदेश जारी किए जाएंगे ।

5 (ix) दो वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा पूरी करने के बाद ही अधिकारियों /कर्मचारियों के पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है, लेकिन इसका दावा नहीं किया जा सकता ।

5 (x) प्रयास होगा कि 57 वर्ष की उम्र वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके वर्तमान स्थान से नहीं किया जाए तथापि, यदि वह अपने स्थानांतरण के लिए अपने चयन स्थान का अनुरोध करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है । लेकिन इसका दावा नहीं किया जा सकता है ।

5 (xi) अनुकम्पा आधार पर स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित मामलों में विचार किया जाएगा ।

(क) स्वास्थ्य का आधारः– ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके पति या पत्नी/आश्रित बच्चे, हदय रोग, कैंसर, पक्षाघात, आदि गंभीर रोगों से पीड़ित हों या मानसिक रोगी हों या बच्चे जो पूर्णतः दृष्टिहीन हो, उनके लिए आवश्यक है कि स्थानातंरण अनुरोध के साथ अपने आवश्यक सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करें ।

(ख) बच्चे का शैक्षिक आधारः– केवल ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके बच्चे X, XI एवं XIIवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हों ।

(ग) कोई अन्य ठोस आधार जिससे सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हों ।

5 (xii) अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, अधीक्षक श्रेणी–I/II, प्रधानलिपिक तथा कैशियर जैसे संवेदनशील पदों पर पदस्थ को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर विचार किया जाएगा । सामान्यतः उन्हें एक पद पर चार वर्ष से ज्यादा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि संबंधित मुख्य अभियंता कार्य की तात्कालिकता को देखते हुए उन्हें रोकने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं करते हैं।

5 (xiii) सभी श्रेणी/पदों पर किसी अधिकारी/कर्मचारी की चुने गए स्थान पर ठहरने की कुल अवधि सामान्य रूप से जोड़कर बीस वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. मुख्यालय बदलने सहित स्थानांतरण का आदेश जारी होने पर एक माह के अन्दर संबंधित कर्मचारी को नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जाए ।

7. यदि कोई कर्मचारी जिसका स्थानांतरण किया गया है, और वह किसी भी आधार पर स्थानांतरण के विरूद्व अपना मामला प्रस्तुत करना चाहता हो, उसे स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर अपने नियंत्रण अधिकारी को अपना अभ्यावेदन सौंपना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार यदि आवश्यकता हो तो तैयारी के लिए कुछ तर्क संगत समय देकर कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए अवधि तय करने के लिए नियंत्रण अधिकारी कार्य की तात्कालिकता पर विचार करके निर्णय लेगा जो सामान्यतः एक माह से अधिक नहीं होगी ।

8. कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों को रा.ज.वि.अ. कार्यालय में उन्हें सौंपे गये कार्य को सम्हालने के लिए अंतर परिवर्तनीय माना जाएगा । तथापि, ऐसे किसी भी मामले में दिए गए स्थान पर स्थित सभी कार्यालयों के लिए सभी श्रेणियों में संयुक्त रूप से मंजूर कर्मचारी संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता है । किसी मुख्य अभियंता के अधिकार क्षेत्र में मंजूर कुल पद भी किसी श्रेणी में अधिक नहीं होगें:–

क. सहायक कार्यपालक अभियंता/सहायक निदेशक/सहायक अभियंता ।

ख. अधीक्षक श्रेणी – I/ II

ग. कनिष्ठ लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार

घ. आशुलिपिक –I/ II/III

ड. प्रवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक

च. प्रधान प्रारूपकार/प्रारूपकार श्रेणी– I

छ. प्रारूपकार श्रेणी – II/ III

ज. चालक विशिष्ट श्रेणी/चालक श्रेणी– I/ II/III

ऊपर दर्शाए गये कर्मचारियों की पदोन्नति पर तैनाती पर पर्याप्त स्पष्टीकरण लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

9. किसी भी कार्यालय में कर्मचारी संख्या कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा मंजूर पदों की सीमा में होगी । कार्य की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर

या मंजूर संख्या में परिवर्तन के अलावा मंजूर कर्मचारियों की संख्या के अतिरिक्त कर्मचारी संख्या की अनुमति नहीं होगी । दोनों स्थितियों में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, के अनुमोदन की आवश्यता होगी ।

10. विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से अपनी रूचि के स्थान पर स्थानांतरण के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोधों को एक उपयुक्त रजिस्टर में दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी । जब और जहां पद रिक्त होंगे तब इन मामलों पर मांगे गये स्थानांतरण के कारणों के आधार के साथ–साथ क्रम से विचार किया जाएगा । सामान्यतः ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कि प्राधिकारी प्रस्तुत किए गये कारणों की सत्यता से संतुष्ट होंगे । तैनाती के वर्तमान स्थान पर बिताए गये समय का भी ध्यान रखा जाएगा ।

11. उपरोक्त मार्गदर्शन (दिशानिर्देशो) के अनुसार मुख्य अभियंता (उ0)/(द0) को उनके अधीन कार्यरत सहायक अभियंता से नीचे के स्तर के कर्मचारियों की तैनाती/स्थानांतरण पर विचार करने की शक्ति दी गई है । समान रूप से, उपरोक्त स्तर के कर्मचारियों की तैनाती/स्थानांतरण अन्तर क्षेत्रीय स्तर पर करने की शक्ति मुख्य अभियंता (मुख्या.) को प्राप्त है । किन्हीं भी दिशानिर्देशों में छूट देने के लिए महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

12. उपरोक्त स्थानान्तरण दिशानिर्देशो में उल्लिखित सभी बिन्दुओं के होते हुए भी महानिदेशक को स्थानांतरण (दिशानिर्देशो) के खंड 2 में उल्लिखित किसी भी कारण से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति/स्थानांतरण का निर्णय लेने की अंतर्निहित शक्ति है ।